रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2011/ज्येष्ठ 3, 1933
No. 265] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2011/JYAISTHA 3, 1933

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2011

सा.का.नि. 398(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2002 का 12) की धारा 53 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय) नियम, 2008 से उपाबद्ध अनुसूची में, नियम 3, उप-नियम (1) के अधीन, शीर्षक "अ : कार्यरत कार्यक्रम" को पुन: संख्यांकित करके "अअ कार्यरत कार्यक्रम" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित "अअ कार्यरत कार्यक्रम" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अआ. सूचना का अधिकार अधिनियम,

(क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना की वांछा रखने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या;

(ख) ऐसे आवेदनों की संख्या जिनके लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास लंबित आवेदनों की संख्या ;

(घ) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष दाखिल अपीलों की संख्या;

(ड़.) प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निपटान की गई अपीलों की संख्या;

(च) प्रथम अपील अधिकारी के पास लंबित अपीलों की संख्या ;

(छ) नियत समय-सीमा के भीतर निपटान न किए गए आवेदनों/अपीलों की संख्या ।"

[फा. सं. 5/21/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 808(अ), तारीख 21-11-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2011

G.S.R. 398(E).— In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (2) of Section 53 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Form and Time of Preparation of Annual Report) Rules, 2008, namely :—

(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Form and Time of Preparation of Annual Report) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule attached to the Competition Commission of India (Form and Time of Preparation of Annual Report) Rules, 2008, under Rule 3, Sub-rule (1), after heading "N. Ongoing programmes", the following shall be inserted, namely :—

"O. RTI Act :

(a) Number of applications received by CPIO/ACPIO seeking information under RTI Act;

(b) Number of applications for which information has been provided by CPIO;

(c) Number of applications pending with CPIO;

(d) Number of appeals filed before First Appellate Authority against the order of CPIO;

(e) Number of appeals which have been disposed of by First Appellate Authority;

(f) Number of appeals pending with First Appellate Authority ;

(g) Number of applications/appeals not disposed of in the stipulated time frame."

[F. No. 5/21/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 808(E), dated 21-11-2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.